दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2013 / 1274 दिनांक 29 / 8 / 2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर–भटनी, देवरिया

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषयों ललित कला एवं संगीत, भूगोल तथा प्राचीन इतिहास तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में** प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 19.08.2013 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषयों ललित कला एवं संगीत, भूगोल तथा प्राचीन इतिहास तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में** प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति चयनों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण / भ्रामक / असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातकोत्तर : कला संकाय		
1	डॉ0 ऋचा रानी	प्रवक्ता, हिन्दी
2	डॉ0 (कु0) सन्ध्या त्रिपाठी	प्रवक्ता, हिन्दी
3	डॉ0 (श्रीमती) रेनू त्रिपाठी	प्रवक्ता, हिन्दी
4	कु0 शालिनी	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
5.	कु0 अंजू सिंह	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
6.	कु0 स्नेहलता	प्रवक्ता, गृहविज्ञान
स्नातक : कला एवं वाणिज्य संकाय		
1	श्री विकास शर्मा	प्रवक्ता, ललित कला एवं संगीत विभाग
2	श्री कृष्ण कुमार यादव	प्रवक्ता, भूगोल
3	डॉ0 (श्रीमती) पुनीता मिश्रा	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास
1	डॉ0 सतीश सिंह	प्रवक्ता, बी0काम0
2	डॉ0 राजू निगम	प्रवक्ता, बी0काम0
3	डॉ0 पंकज कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता, बी0काम0

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य / प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

27/8/13 27/8/13